

†ध्याय - 11 महिलाएँ तथा श्रम

महिला श्रमिकों की भूमिका

11.1 भारत के श्रमबल में महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत के महा-पंजीयक द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, वर्ष 2001 में महिलाओं की कार्य-सहभागिता दर 25.68 प्रतिशत थी। यह 1981 में 19.67 प्रतिशत तथा 1991 में 22.73 प्रतिशत से सुधार है। दो महत्वपूर्ण पक्ष, जिनका उल्लेख अपेक्षित है कि यद्यपि महिलाओं की कार्य-सहभागिता में सुधार हुआ है, तथापि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की कार्य सहभागिता दर में लगातार कमी हो रही है। वर्ष 2001 में, शहरी क्षेत्रों में 11.55 प्रतिशत की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की कार्य में सहभागिता दर 30.98 प्रतिशत थी। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ मुख्यतः खेतिहर और कृषक श्रमिकों के रूप में कार्यरत हैं। शहरी क्षेत्रों में महिला कामगारों में से लगभग 80 प्रतिशत महिला कामगार घरेलू उद्योग, छोटे-छोटे व्यापार और सेवाएँ, भवन एवं निर्माण आदि जैसे असंगठित क्षेत्रों में नियोजित हैं।

11.2 जहाँ तक संगठित क्षेत्र का सम्बन्ध है, मार्च 2003 में गत वर्ष में 18.4 प्रतिशत महिला कामगार कार्यरत थीं। 31 मार्च, 2003 को संगठित क्षेत्र (सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों) में लगभग 49.68 लाख महिला कामगार कार्यरत थीं, इसमें से लगभग 28.12 लाख सामुदायिक, सामाजिक और कार्मिक संवाओं के क्षेत्र में कार्यरत थीं। बागान और फैक्ट्री स्थापनाएँ भी महिलाओं के महत्वपूर्ण नियोजक थे। खान क्षेत्र में महिला श्रमिक कार्यबल का केवल 5 प्रतिशत थी।

शिक्षा और दक्षता/व्यवसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में महिलाओं की पहुँच

11.3 रोजगार के लिए महिलाओं की पहुँच काफी हद तक उनकी शिक्षा और दक्षता बढ़ाने के प्रति उनकी पहुँच से सम्बन्धित है। वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की पहुँच पुरुषों की अपेक्षा कम है। महिलाओं के लिए शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण

सुलभ कराने के उद्देश्य से सरकार ने कई कार्यक्रम कियान्वित किए हैं।

11.4 इस संदर्भ में रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डी.जी.ई.एण्ड टी.) के अधीन वर्ष 1977 से इस मंत्रालय में महिला व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य दक्षता प्रशिक्षण एवं विकास के माध्यम से महिलाओं की मजदूरी रोजगार तथा स्वरोजगार में सुधार करना है। इसके अंतर्गत डी.जी.ई.एण्ड टी. मुख्यालय में एक अलग महिला कक्ष की स्थापना की गई है जो देश में महिलाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने से सम्बन्धित दीर्घकालिक नीतियों को तैयार करने और स्वीकृत करने के लिए उत्तरदायी है।

11.5 कार्यक्रम के भाग रूप में केन्द्रीय क्षेत्र में देश के विभिन्न भागों में एक राष्ट्रीय और दस क्षेत्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं। यह संस्थान उन महिलाओं के लिए जिन्होंने 10वीं अथवा 12वीं स्तर की शिक्षा प्राप्त की हो तथा विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए विनिर्दिष्ट योग्यता पूरी करती हों के लिए नियमित दक्षता/व्यवसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आधारभूत, उच्च एवं उच्चतर स्तर पर चलाते हैं। ये संस्थान दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त सामान्य महिला ग्रुप, गृहिणियों, छात्रों तथा स्कूल न जाने वालों आदि के लिए आवश्यकता पर आधारित अल्पकालिक/तदर्थ पाठ्यक्रम भी चलाते हैं तथा आई.टी.आई. अनुदेशकों के लिए अध्यापन/योग्यता उन्नत हेतु पुनश्चर्या पाठ्यक्रम भी आयोजित करते हैं। अब तक उक्त संस्थानों में लगभग 43, 336 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा वर्तमान में विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगभग 3332 सीटें प्रशिक्षणार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही है।

11.6 राज्य क्षेत्र में राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन केवल महिलाओं के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (डब्ल्यू. आई.टी.आई.) का नेटवर्क स्थापित किया गया है। यह संस्थान महिलाओं को आधारभूत दक्षता प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हैं। वर्तमान

में सामाय आई टी आई में 837 महिला आई टी आई तथा महिला प्रशिक्षण प्रकोष्ठ हैं। (224 सरकारी महिला आई टी आई, 98 गिजी महिला आई टी आई, सरकारी आई टी आई में 483 महिला प्रशिक्षण प्रकोष्ठ तथा गिजी आई टी आई में 32 महिला प्रशिक्षण प्रकोष्ठ हैं जिमें प्रशिक्षण के लिए 47391 सीटें हैं।)

11.7 इसके अतिरिक्त भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, मुम्बई ने 'महिला और बालश्रम' पर एक पृथक कक्ष की स्थापना की है और केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों की ऐसी महिला कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाता है जो देश के महिला और बाल श्रमिकों के उत्थान और कल्याण के कार्य में संलग्न हैं। वर्ष 1992-93 से सितम्बर 2003 तक संस्थान के महिला और बालश्रम सैल द्वारा 456 महिला कार्यकर्ताओं को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया था

—गौकरी तलाश करने वाली महिलाओं की सहायता

11.8 रोजगार कार्यालयों ने अपने पास दर्ज महिलाओं की रोजगार आवश्यकताओं को पूरा करने की ओर विशेष ध्यान दिया। जनवरी-दिसम्बर 2004 के दौरान उन्होंने 24502 महिलाओं को विभिन्न रोजगार दिलवाए।

महिला कामगारों के हितों की सुरक्षा

11.9 सरकार ने महिला कामगारों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए कई कदम उठाए हैं। विभिन्न श्रम कानूनों में कई संरक्षी प्रावधानों को समाविष्ट किया गया है। इन्हें बॉक्स 11.1 में विस्तार से दर्शाया गया है।

11.10 इसके अतिरिक्त श्रम मंत्रालय ने 1975 में एक पृथक महिला प्रकोष्ठ की स्थापना की। इसका उद्देश्य कामकाजी महिलाओं की दशा में सुधार करने के लिए ध्यान केन्द्रित करना था। इस प्रकोष्ठ के निम्नलिखित कार्य हैं :-

- राष्ट्रीय जनशक्ति और आर्थिक नीतियों के ढाँचे के भीतर महिला श्रमबल सम्बन्धी नीतियों और कार्यक्रमों का प्रारूपण तथा समन्वय

- महिला कामगारों के सम्बन्ध में कार्यक्रम का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ सम्पर्क बनाए रखना।
- समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के कार्यान्वयन को मॉनिटर करना।
- समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अधीन सलाहकार समिति का गठन करना।
- महिला श्रमिकों के सम्बन्ध में कार्योन्मुख परियोजनाएँ तैयार करने व निष्पादित करने वाले गैर सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों की सहायता/ अनुदान।

11.11 पिछले कुछ वर्षों में मंत्रालय, महिला श्रमिकों में जागरूकता, विशेषकर उनके कानूनी अधिकारों व कर्तव्यों के सम्बन्ध जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सक्रिय रहा है। यह गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से किया जा रहा है।

समान पारिश्रमिक

11.12 पुरुषों व महिलाओं के लिए समान पारिश्रमिक संबंधी 1951 के कान्वेंशन सं.100 का भारत सरकार ने 1958 में अनुसमर्थन किया था। सांविधिक उपबन्धों तथा आई.एल.ओ.कान्वेंशन सं 100 का प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1975 में समान पारिश्रमिक अध्यादेश लागू किया गया था। बाद में उक्त अध्यादेश को 1976 के समान पारिश्रमिक अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

11.13 राज्यों संघ शासित क्षेत्रों ने समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अधीन सक्षम प्राधिकारियों की नियुक्ति की है और अधिनियम के अधीन परामर्श समितियाँ भी गठित की हैं। समान पारिश्रमिक अधिनियम के उपबन्धों के प्रवर्तन संबंधी स्थिति को मंत्रालय तथा केन्द्रीय सलाहकार समिति द्वारा निरन्तर मानीटर किया जाता है। अधिनियम के कार्यान्वयन को मानीटर करने के लिए विशेष सैल द्वारा राज्यों से वार्षिक विवरणियाँ मंगाई जाती हैं। अधिकतर मामलों में राज्य सरकारों का उत्तर उत्साहवर्धक नहीं रहा है। समय - समय पर राज्य सरकारों / संघ शासित क्षेत्रों को, अधिनियम को अधिक सख्ती से प्रभाव में

लाने की सलाह दी गई है ताकि महिला कामगारों की हालत में सुधार हो सके।

11.14 समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले नियोजकों के विरुद्ध न्यायालयों में शिकायतें दायर किए जाने के प्रयोजनार्थ इस अधिनियम के अर्न्तगत निम्नलिखित सामाजिक कल्याण संगठनों को मान्यता प्रदान की गई है।

- महिला विकास अध्ययन केन्द्र, नई दिल्ली
- स्वनियोजित महिला संघ, अहमदाबाद
- श्रम जीवी महिला संघ (भारत) चेन्नई
- सामाजिक अध्ययन न्यास संस्थान, नई दिल्ली

शिशु पालन केन्द्र

11.15 महिला कामगारों की सुविधा के लिए शिशु पालन केन्द्र खोलने के लिए कतिपय श्रम कानूनों में सांविधिक उपबन्धों की व्यवस्था की गई है। फैक्ट्री अधिनियम, 1948, बीड़ी और सिगार कामगार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम 1966 और भवन एवं अन्य निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1996 में महिला कामगारों के लाभार्थ शिशुगृह की व्यवस्था का प्रावधान है। बागान श्रम अधिनियम 1951 में महिला कामगारों को दुग्धपान हेतु छुट्टी की व्यवस्था है।

महिला कामगारों के यौन उत्पीड़न पर उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश

11.16 विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य द्वारा दायर की गई 1992 की याचिका संख्या 666-70 के मामले में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने कामगार महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर यौन-उत्पीड़न को रोकने के लिए कुछ दिशा-निर्देश दिए हैं। दिशा-निर्देशों को प्रभाव में लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सभी केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों / राज्य सरकारों संघ शासित प्रदेशों तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निर्णय में विहित प्रावधानों से सूचित किया गया है। उनसे उक्त निर्णय में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए अनुरोध किया गया है। दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों तथा अखिल भारतीय सेवाओं पर लागू आचरण नियमों में संशोधन किया गया है। निजी क्षेत्र में कर्मचारियों पर दिशा-निर्देश लागू करने के लिए औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम 1946 में संशोधन किया गया है।

भावी रणनीति

11.17 आर्थिक उदारीकरण के संबंध में महिलाओं के रोजगार की गुणवत्ता विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगी। इनमें शिक्षा अर्जन पहुँच और कौशल विकास प्रशिक्षण मुख्य हैं। समाधान स्वरूप महिलाओं के बीच उनके कानूनी अधिकारों तथा कर्तव्यों एवं उनके कौशल स्तर को ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने हेतु जागरूकता पैदा की जाए। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 तथा समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के प्रभावी प्रवर्तन पर बल दिया जाना चाहिये। इन अधिनियमों के समुचित प्रवर्तन से महिला कामगारों के लिए एक समर्थ वातावरण का निर्माण होगा। इन सुरक्षात्मक उपायों के अतिरिक्त, महिलाओं के बीच शिक्षा, कौशल विकास तथा प्रशिक्षण को बढ़ावा देने की नीति को भी प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

महिलाओं के नियोजन - सुरक्षात्मक कानूनी उपबंध

अधिनियम का नाम	सुरक्षात्मक व्यवस्था
1. बीड़ी एवं सिगार कामगार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966	महिला कामगारों की सुविधा के लिए औद्योगिक परिसर में शिशुगृहों की व्यवस्था जहां सामान्यतः 50 से अधिक महिबॉक्स 11.1 लाएं नियोजित हों ।
2. बागान श्रम अधिनियम, 1951	हर उस बागान में शिशुगृह का प्रावधान जहां 50 या इससे ज्यादा महिला कामगार (किसी ठेकेदार द्वारा नियोजित महिला कामगार सहित) नियोजित हों या महिला कामगारों (किसी ठेकेदार द्वारा नियोजित महिला कामगार सहित) के बच्चों की संख्या 20 या इससे ज्यादा हो । बच्चों को स्तनपान कराने के लिए महिला कामगारों को छुट्टी दी जाती है ।
3. ठेका श्रम (विनियम एवं ऊ-मूलन) अधिनियम, 1970	ठेका श्रम के रूप में सामान्यतः 20 या इससे अधिक महिलाओं के नियोजन वाले स्थान पर शिशुगृहों का प्रावधान । किसी ठेकेदार द्वारा महिला श्रमिक से प्रातः 6.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक के बीच ही काम लिया जाए । इसमें अस्पताल एवं डिस्पेंसरी में काम करने वाली दाई तथा नर्स शामिल नहीं है ।
4. अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979	प्रवासी कामगार के रूप में सामान्यतः 20 या इससे अधिक महिला कामगारों को नियोजित करने वाले ऐसे प्रतिष्ठानों में शिशुगृहों का प्रावधान जिनमें प्रवासी कामगारों का नियोजन 3 माह या इससे ज्यादा जारी रहने की संभावना हो ।
5. कारखाना अधिनियम, 1948	सामान्यतः 30 से अधिक महिला कामगारों को नियोजित करने वाले हर कारखाने में शिशुगृह का प्रावधान ।
6. खान अधिनियम, 1952	भूमिगत खानों में महिलाओं का नियोजन निषिद्ध किया गया । महिला कामगारों के लिए अलग शौचालय एवं सुविधाओं का प्रावधान ।
7. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961	80 कार्य दिवस पूरे होने पर प्रसूति लाभ दिया जाना । प्रसव या गर्भपात से छः सप्ताह की अवधि तक कोई कठिन काम न करना । प्रसव के एक सप्ताह पूर्व की अवधि से छः माह तक की अवधि में कोई कठिन कार्य या अधिक देर तक खड़े रहने का कार्य न लिया जाए जिससे भ्रूण के सामान्य विकास पर प्रभाव पड़ता हो या जिससे गर्भपात हो सकता हो या जिससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता हो । चिकित्सा प्रमाण - पत्र पर प्रसूति से पहले लाभ की अनुमति दी जाए । यदि प्रसूति पूर्व अथवा प्रसूति के बाद निशुल्क देखरेख नहीं की जाती है तो 250/- रुपए का चिकित्सा बोनस दिया जाए ।
8. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976	एक ही कार्य या एक ही स्वरूप के कार्य के लिए पुरुषों तथा महिलाओं को समान पारिश्रमिक दिया जाना अधिनियम के अधीन सुरक्षित हैं । भर्ती या सेवा शर्तों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा सिवाय इसके कि किसी कानून के तहत महिलाओं का नियोजन निषिद्ध या प्रतिबंधित किया गया हो ।
9. कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950	प्रसूति लाभ का दावा उसी दिन से देय होगा जब से गर्भपात, गर्भावस्था, गर्भाधारण या समय पूर्व बच्चे के जन्म के कारण बीमारी के लिए चिकित्सा प्रमाण - पत्र दिया जाता है ।

	<p>प्रसूति लाभ का दावा उसी तारीख से मान्य होगा, जब से गर्भावस्था, गर्भधारण या समय पूर्व प्रसव के कारण बीमारी के लिए चिकित्सा प्रमाण - पत्र जारी किया जाता है । (सामान्य विनियम,1950)</p>
10. बीड़ी कामगार कल्याण निधि अधिनियम,1976	<p>क्रम संख्या 10से 13 पर दिए गए अधिनियमों के तहत सलाहकार समिति तथा केंद्रीय सलाहकार समिति में किसी महिला सदस्य की नियुक्ति अनिवार्य है ।</p>
11. लौह अयस्क खान, मैगनीज अयस्क खान, क्रोमियस्क खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम,1976	
12. चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1972	
13. अभ्रक खान श्रमिक कल्याण अधिनियम,1946	
14. भवन और अन्य कामगार,(रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें)अधिनियम, 1996	<p>भवन और अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में एक महिला सदस्य का प्रतिनिधित्व कल्याण निधि की महिला हितलाभाधिकारियों को प्रसूति प्रसुविधा का प्रावधान । •हां 50 से अधिक महिला निर्माण कामगार सामान्यतः नियोजित हैं वहां शिशुगृह की व्यवस्था ।</p>
15. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश अधिनियम, 1946	<p>महिला कामगारों के कार्य के स्थानों पर यौन शोषण के विरुद्ध सुरक्षा सम्बन्धी प्रावधान करना । यौ शोषण की शिकायतों की जांच एक महिला अध्यक्ष तथा दो अय सदस्यों, जो महिलाएं ही हों से गठित शिकायत समिति द्वारा की जाती है ।</p>